न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी श्री इन्द्रा पिता इशरी मीणा निवासी सचाई का नागरवा तह० चिखली

अप्रार्थी श्री [illegible] पिता इशरी वगैरा कि० सचाई का नागरवा तह० चिखली

किस्म मुकदमा

पत्रावली संख्या: 56/2019 (2019/[illegible])

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 4/3/2020 [illegible] पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के नाम जारी सम्मन बाद रामेश्वर पुत्र के अर्थात दि 10-12-19 को तामील होकर वापस [illegible] है। इनको वक्त के मुताबिक सूचना भेजी हाजिर नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। [illegible] उपखण्ड [illegible]। वक्त पश्चात [illegible] प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा कहा [illegible] जमाबन्दी के मुताबिक ख.नं. 10 के कुल रकबे 15 बीघा कुल [illegible] 5.55 एकड़ इसमें अप्रार्थीगण को [illegible] बिना [illegible] भूमि में [illegible] नहीं [illegible] इस बारे में [illegible] जाने की [illegible] के आधार पर [illegible] जावे। अतः अप्रार्थीगण को [illegible] आदेश [illegible] में [illegible] नहीं [illegible] में [illegible] [illegible] में [illegible] होकर [illegible] में कम होकर [illegible]	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.19 15:17:23 IST
Reason: SelfAttested